25/04/2022

प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची

एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 135/2011

काशीनाथ सिंह यादव बनाम् सुलेमान भूत कुमार

प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन में अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा अपील वाद संख्या–153-R15/2008-09 में पारित आदेश को चुनौती दी गयी है। मूलतः विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–63/83–84 में दिनांक–05.06.1995 को पारित भूमि वापसी आदेश को आवेदक द्वारा वर्ष–2008 में अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी गयी। अपीलार्थी का दावा समझौता के आधार पर निष्पादित Title Suit-1008/67 के आधार पर आधारित था, जिस कारण वर्ष–1983 मेंदायर भूमि वापसी का दावा कालवाधित भी नहीं था। 14 वर्षो के पश्चात् अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपील न्यायालय पर विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं था। अतः अपील आवेदन खारिज कर दिया गया।

इस न्यायालय में यह अपील दिनांक–17.10.2011 को दायर की गयी, जिसके पश्चात् अपीलार्थी यदा–कदा ही न्यायालय में उपस्थित हुये। अपीलार्थी की तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक–13.05.2019 को दी गयी। अपीलार्थी को उनका पक्ष रखने हेतु दिनांक–24.01.2022, 07.04.2022, 21.04.2022 को लगातार मौका दिया गया, किन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।

अपीलार्थी का दावा है कि खाता नम्बर–53, प्लॉट–812, रकबा–42 डिसमिल, ग्राम–मोरहाबादी की भूमि की वापसी हेतु एकपक्षीय सुनवाई से आदेश पारित किया गया, उक्त भूमि बायां मुण्डा, सोमरा मुण्डा एवं अन्य के नाम से कायमी दर्ज है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा 1940 में हुकुमनामा से भूमि प्राप्त करने एवं मकान निर्माण करने का दावा किया गया है। अपीलार्थी की तरफ से दायर म्यूनीसीपल रसीद–1986 सें निर्गत है। इसी प्रकार विद्युत विपत्र भी वर्ष–1995 के निर्गत है। स्पष्टतः अपीलार्थियों के पास 1969 के Schedule Area Regulation-1969 लागू होने के पूर्व प्रश्नगत् भूमि पर निर्माण के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वर्ष–1967 में एक समझौता के आधार पर निष्पादित Title Suit को आधार बनाकर

(1)

अपीलार्थी द्वारा भूमि पर अपना अधिकार दर्शाया जा रहा है। इसी भूमि पर भूमि वापसी वाद संख्या–537/1994–95 को खारिज किये जाने का भी उल्लेख किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में भूमि वापसी न्यायालय के पारित आदेश पर अपना दावा संधारित किया जा रहा है, किन्तु उक्त आदेश वर्ष–1995–96 में पारित किये गये थे। इन आदेशों के विरूद्ध अपीलीय न्यायालयों में बिना किसी तार्किक कारण के 14 वर्षो के पश्चात् अपील दायर की गयी, जो पोषणीय नहीं थी। उक्त अपील खारिज हो गयी। इस न्यायालय में विगत् 11 वर्षों से यह वाद सुनवाई हेतु स्वीकृत नहीं हो सका है तथा 02 वर्षो के अधिक समय से आवेदक लगातार अनुपस्थित है। स्पष्टतः आवेदक को इस वाद के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं है, तथा वे इस विषय को मात्र न्यायालय के प्रक्रिया में लम्बित रखना चाहते है। पुनरीक्षण आवेदन में कोई भी ऐसा तथ्य वर्णित नहीं है, जिससे कि निम्न न्यायालयों के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

प्रमण्डलीय आयुक्त

प्रमण्डलीय आयुक्त

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.22 11:55:38 +05:30
Location: 192.168.1.40